न्यायालय, कनीय न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।

अधिकार वाद 07 / 2012

सकल सिंह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

राज कुमार सिंह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

आदेश

15.05.2023 अभिलेख आज प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक–28.02.2023 अंतर्गत आदेश 40 नियम 4'सी' तथा उसके तत्पश्चात् वादी द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–14.03.2023 पर उभय पक्षों की सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी ने अपने आवेदन में यह निवेदन किया है कि प्रस्तुत वाद के दाखिल होने के पूर्व एस0डी0एम0, पटोरी के द्वारा थाना प्रभारी मोहिउद्दीन नगर, समस्तीपुर को एम0आर0 केस सं0–121 / 2011 अंतर्गत धारा 146(1) दण्ड प्रक्रिय संहिता में विवादित भूमि के निस्बत उभय पक्षों के बीच में शांति व्यवस्था बनाने के लिए रिसिवर की नियुक्ति की गई थी जिसका आदेश की कॉपी इस आवेदन के साथ एनेक्चर–1 के रूप में संलग्न किया गया है। यह कि थाना प्रभारी मोहिउद्दीन नगर के द्वारा वर्ष, 2011 से अब तक वादी के साथ मिलकर विवादित भूमि से प्राप्त उपज लगभग पॉच लाख प्रति वर्ष को आपस में मिलकर लाभ उठाया जा रहा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी प्रतिवादी का आवेदन को स्वीकृत करते हुए वर्ष, 2011 से अब तक की अवधि में उपज से प्राप्त होने वाले किसी भी बकाया राशि को ठीक करने के लिए या कोई अन्य आदेश जो न्यायहित में आवश्यक हो पारित करने की कृपा की जाए।

वादी ने अपने प्रत्युत्तर में यह निवेदन किया है कि आवेदन जिस व्यानात के साथ दाखिल किया गया है वह पोषणीय नहीं है एवं खारिज किए जाने योग्य है। प्रस्तुत आवेदन प्रतिवादी को दाखिल करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है बल्कि वाद को अनिश्चित काल तक लंबित रखने की मनसा से दाखिल किया गया है। आवेदन में जिस कथन का जिक्र किया गया है उसी कथन को प्रतिवादी उल्लेखित करते हुए कवल में दिनांक–14.03.2022 को प्रार्थी वादी के विरुद्ध निषेधाज्ञा आवेदन दिया था जो सुनवाई पश्चात् दिनांक–13.09.2022 को खारिज हो चुका है। प्रतिवादी जानबूझकर वाद को अनिश्चित काल तक लंबित रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत आवेदन दाखिल किया है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन खर्च सहित खारिज करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा यह वाद वादपत्र के मद सं0–2 में उल्लिखित भूमि के संबंध में अनुमण्डल पदाधिकारी, शाहपुर पटोरी के द्वारा पारित आदेश को शून्य एवं अबाध्यकारी घोषित करने के लिए तथा जमाबन्दी सं0–375, 312, 341 तथा 38 के संबंध में प्राप्त लगान रसीद को शून्य घोषित कराने एवं वादपत्र के मद सं0–1 पर प्रतिवादीगण को निषेधित करने के लिए दाखिल किया है। प्रस्तुत वाद में अनुमण्डल पदाधिकारी, शाहपुर पटोरी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2012 में थाना प्रभारी मोहिउद्दीन नगर को रिसिवर नियुक्त किया गया है तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, के द्व ारा धारा 146(1) द0प्र0स0 में पारित आदेश में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि ''इस विवादित भूमि

पर कब्जे के हकदार व्यक्ति के विषय में इस विवाद के पक्षकारों के अधिकार निर्धारण किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किए जाने तक प्रभावी होगा साथ ही यह न्यायालय थानाध्यक्ष मोहिउद्दीन नगर को जप्त की गई सम्पत्ति की समुचित देखभाल हेतु रिसिवर नियुक्त करती है''। चूंकि विवादित भूमि को जप्त एवं समुचित देखभाल करने के लिए पूर्ववर्ती न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया गया है जो इस न्यायालय द्वारा पक्षकारो के अधिकार का अवधारण अभी प्रश्नगत है इसलिए प्रतिवादी द्वारा रिसिवर को निर्देशित करने एवं आदेश 40 नियम 4 (ग) के अंतर्गत दाखिल आवेदन के संबंध में आदेश पारित करना युक्तियुक्त नहीं है, परन्तु प्रश्नगत भमि के निस्वत नियुक्त रिसिवर का कोई प्रतिवेदन अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अतः प्रतिवादी के आवेदन के आलोक में कार्यालय थाना प्रभारी मोहिउद्दीन नगर से एम0आर0 केस सं0–121/2011 अंतर्गत धारा 146(1) दण्ड प्रक्रिय संहिता के अंतर्गत नियुक्त रिसिवर के संबंध में प्रतिवेदन की मांग करें। इस प्रतिवेदन की प्राप्ति की प्रतिक्षा से वाद की कारवाई प्रभावित नहीं होगी और दोनों पक्ष वाद के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक कदम उठाएगें। वादी को निर्देश दिया जाता है कि अगली निश्चित तिथि को बिना सफलता के अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें।

दिनांक– वास्ते साक्ष्य वादी की ओर से प्रस्तुत करें।

मुंसिफ,

शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।